2017/00199

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर, जयपुर

प्रकरण संख्या 44/2017 (राजस्व अपील)

ओम सिह राठौड पुत्र औकार सिंह राठौड जाति राजपूत निवासी सुराणा नगर नृसिंहपुरा, अजमेर रोड ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर जिला जयपुर ।

प्रत्यर्थी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश तहसीलदार जयपुर प्रार्थना पत्र संख्या 399/2017 आदेश दिनांक 06.10.2017

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

उपस्थितः–

1. श्री सुबोध कुमार जैन अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।
2. विभागीय पैराकार प्रत्यर्थी की ओर से ।

निर्णय दिनांक 25-11-2019

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने खसरा नम्बर 114, 115, व 117 कुल किता 3 कुल रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम हरनाथपुरा तहसील जयपुर जिला जयपुर के 1/103 हिस्से की रजिस्ट्रर्ड विकय पत्र दिनांक 05.07.2017 का कय की है। अपीलार्थी ने राजस्व रिकार्ड में रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर अपना नाम दर्ज करवाने के लिए एक प्रार्थना पत्र दिनांक 17.07.2017 को प्रस्तुत किया। जिसको तहसीलदार जयपुर ने बिना गौर किये जल्दबाजी में प्रश्नाधीन बेजा आदेश करते हुये दिनांक 06.10.2017 को प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया । जिसे व्यथित हो कर यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस प्रत्यर्थी को जारी किया गया । प्रत्यर्थी की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित है। तहत रिकार्ड तलब किया गया । पत्रावली बहस हेतु नियत की गई ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।
4. अपीलार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये दलील पेश की कि तहसीलदार जयपुर ने पटवारी की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 30.8.2017 का व रजिस्टर्ड विकय पत्र का बिना अवलोकन किये ही जल्दबाजी में प्रार्थना पत्र को खारिज करने में गम्भीर अनियमितता व अहम भूल कारित हुई है। तहसीलदार जयपुर ने प्रार्थना पत्र में अंकित कय भूमि को आवासीय प्लाट का विकय पत्र बता कर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । जबकि रजिस्टर्ड विकय पत्र में कहीं पर भी आवासीय प्लाट का उल्लेख नहीं है। जबकि अपीलाथी ने कृषि भूमि का हिस्सा खरीदा है न की आवासीय भूखण्ड का, अतः तहसीलदार जयपुर से रजिस्टर्ड विकय पत्र

जिला कलक्टर जयपुर

का बिना अवलोकन किये ही कय शुदा कृषि भूमि को आवासीय भू–खण्ड मान कर जल्दबाजी में प्रार्थना पत्र को खारिज करने में गम्भीर अनियमितता व अहम भूल कारित की है। तहसीलदार जयपुर ने राज्य सरकार के परिपत्रानुसार छोटे भू–खण्डों के नमामान्तरकरण किये जाने पर मनाई का कारण तहरीर किया है, इस परिपत्र की न तो कोई प्रतिलिपि व न ही प्रकाशित की तारीख बताई गई है और न ही जारी परिपत्र की इस प्रकार की मंशा है। इस लिहाज से प्रार्थना पत्र खारिज करने में अहम भूल की है, जो निरस्तनीय है। तहसीलदार जयपुर ने नामान्तरकरण प्रार्थना पत्र के विचारण न तो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का और न ही पटवारी की फर्द रिपोर्ट का अवलोकन किया, न बलैन्स आफ कवीनेस देखा और प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिससे अपीलार्थी के अधिकारों का हनन हुआ है। अतःअपीलाधीन आदेश दिनांक 06.10.2017 को अपास्त किया जा कर अपील स्वीकार फरमाई जावे।

5. प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय पैरोकार सरकार ने अपीलार्थी के तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि पटवारी इल्का से मौका रिपोर्ट तलब किये जाने पर विवादित भूमि 150 वर्गगज होकर मौके पर चारो तरफ बाउण्डरी वाल बनी हुई है। अपीलार्थी द्वारा विक्रय पत्र में जानबूझ कर रकबा वर्गगज में अंकित नहीं किया । राज्य सरकार के राजस्व (गुप–1) द्वारा जारी परिपत्र कमांक एफ–3(63)राज/ग्रुप–1/2009 जयपुर दिनांक 28.04.2011 के अनुसार छोटे भू–खण्डो के नामान्तकरण किये जाने पर मनाही होने से पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात नामान्तरकरण के लिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया है। अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत है । अतः अपील खारिज फरमाई जावे।
6. उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
7. अपीलार्थी द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर तहसीलदार जयपुर द्वारा पटवारी हल्का निवारू से मौका रिपोर्ट दिनांक 30.08.2017 को प्राप्त की गई है, जिसमें विवादित भूमि का क्षेत्रफल 150 वर्गगज का भू–खण्ड होकर चारों ओर बाउण्डरी वाल होना बताया है। राज्य सरकार के राजस्व (गुप–1) द्वारा जारी परिपत्र कमांक एफ–3(63)राज/ग्रुप–1/2009 जयपुर दिनांक 28.04.2011 के अनुसार छोटे भू–खण्डो के नामान्तरकरण किये जाने पर मनाही होने अपीलाधीन आदेश से प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है जिसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है । फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है ।
8. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा तहसीलदार जयपुर को मय तहत रिकार्ड प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।
9. निर्णय आज दिनांक 25-11-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जुगरूप सिंह यादव)
जिला कलक्टर
जयपुर